राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–(1–6) 277, 278, 279, 280, 281 व 282/2016........... जिला.......जयपुर................................

उनवान : मैसर्स सुपरट्रोन इलेक्ट्रोनिक्स प्रा0 लिमिटेड, सी–स्कीम, जयपुर

बनाम

सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, जोन–प्रथम, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खण्डपीठ **श्री मनोहर पुरी, सदस्य** **श्री ईश्वरी लाल वर्मा, सदस्य**	
02/02/2016	अपीलार्थी द्वारा ये छः अपीलें मय स्थगन प्रार्थना–पत्र अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के स्थगन आदेश संख्या क्रमशः अ.प्रा.–II/स्थगन/अ.सं. 442, 443, 444, 445, 446 व 447/15–16 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 28.01.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। सभी प्रकरणों में पक्षकार एवं विवाद्य बिन्दु समान होने से सभी अपीलों का निस्तारण एक ही संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है। प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का दिनांक 24.09.2015 को सर्वेक्षण किये जाने पर पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा आलौच्य अवधियों में **'मेमोरी कार्ड्स'** की बिक्री वेट अधिनियम की अनुसूची–IV में मानते हुए 5/6.5/8 प्रतिशत की दर से कर वसूल करते हुए की गयी है, जबकि उक्त माल वेट अधिनियम की किसी भी अनुसूची में इंद्राजित नहीं है। अतः सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, प्रतिकरापवंचन, सम्भाग–प्रथम, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी की आलौच्य अवधियों के पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश वेट अधिनियम की धारा 26/25, 55 व 61 के तहत दिनांक 30.12.2015 को पारित करते हुए 9/8/6.5 प्रतिशत की दर से अन्तर कर, तदनुसार ब्याज एवं धारा 61 के तहत कर की दुगुनी शास्ति का आरोपण किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेशों से सृजित मांग की वसूली के स्थगन हेतु अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 38(4), अपीलीय अधिकारी के पृथक–पृथक पारित किये गये आदेश दिनांक 28.01.2016 से आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए, धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति की सीमा तक स्थगन स्वीकार किया गया तथा कर व ब्याज की राशि वसूलनीय अवधारित की गयी। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा ये अपीलें मय स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत	

लगातार............2

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–(1–6) 277, 278, 279, 280, 281 व 282 / 2016........... जिला.......जयपुर...............................

उनवान : मैसर्स सुपरट्रोन इलेक्ट्रोनिक्स प्रा0 लिमिटेड, सी–स्कीम, जयपुर

बनाम

सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, जोन–प्रथम, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

02 / 02 / 2016 करते हुए प्रकरणों में बकाया मांग राशि की वसूली के स्थगन हेतु निवेदन किया गया है। प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

अपील संख्या	अवधि	आरोपित			चाहा गया स्थगन
		अन्तर कर	ब्याज	शास्ति	
1	2	3	4	5	6
277 / 16	2010–11	1,09,259	69,926	2,18,518	1,79,185
278 / 16	2011–12	38,691	20,119	77,382	58,810
279 / 16	2012–13	43,738	17,495	87,476	61,233
280 / 16	2013–14	87,396	24,471	1,74,792	1,11,867
281 / 16	2014–15	21,19,499	3,39,120	42,38,998	21,58,619
282 / 16	2015–16 (24.9.15 तक)	2,41,348	9,654	4,82,696	2,51,002

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री पंकज घीया तथा प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री आर. के. अजमेरा की बहस सुनी गयी।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों, अपील व स्थगन आधारों पर विचार करने के उपरान्त, **प्रकरणों के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना,** अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए सभी प्रकरणों में वसूली योग्य मांग राशि **(उपरोक्त तालिका के कॉलम संख्या 6 अनुसार)** की वसूली पर इस शर्त पर रोक स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, उनके समक्ष पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करेंगे। अपीलीय अधिकारी को भी निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश प्राप्ति के 3 माह की अवधि में उनके समक्ष लम्बित अपीलों का गुणावगुण के आधार पर निष्पादन करें।

उपरोक्तानुसार अपीलों का निस्तारण किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

2-2-2016   02/02/2016

सदस्य   सदस्य
राजस्थान कर बोर्ड   राजस्थान कर बोर्ड
अजमेर   अजमेर